निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्याः सेवा–1/दो–(ख)/8–(01)/380 /2024–25 दिनांक 21 जून 2024

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानों तथा शासनादेश सं0–198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 दिनांक 14 मार्च 2024 के अनुसार समूह–ख वेतनमान रू0 56100–177500, (लेवल–10) में कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों को ***स्थानान्तरण अधिनियम– 2017 की धारा 17 (1) (ग) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण*** के अन्तर्गत पात्र कार्मिकों के अधिकतम 15 प्रतिशत की सीमा तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–3 के विद्यालय से स्तम्भ–4 में अंकित विद्यालय में अपने वेतनमान में ही स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	प्रधानाध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय/संस्था	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री भारत भूषण शर्मा	रा0उ0मा0वि0 बागथात देहरादून।	रा0उ0मा0वि0 कुंजाग्रांट देहरादून ।	रिक्त पद के प्रति
2	श्री लछम सिंह मेहता	रा0उ0मा0वि0 ककोड़गांजा नैनीताल।	रा0उ0मा0वि0 नबाड़खेड़ा नैनीताल।	––तदैव––
3	श्री देवेन्द्र सिंह भण्डारी	रा0उ0मा0वि0 देवताधार टिहरी गढवाल।	रा0उ0मा0वि0 ढकरानी, देहरादून	––तदैव––
4	श्री घनश्याम प्रसाद रतूड़ी	रा0उ0मा0वि0 लस्यालगांव, टिहरी।	रा0उ0मा0वि0 बंजारेवाला, हरिद्वार।	––तदैव––
5	श्री धूम बहादुर सिंह	रा0उ0मा0वि0 सतबूंगा नैनीताल।	रा0उ0मा0वि0 रैहटा, उधमसिंह नगर।	––तदैव––
6	श्री नारायण दत्त शर्मा	रा0उ0मा0वि0 सल्ड महादेव, पौड़ी गढवाल।	रा0उ0मा0वि0 रामनगर हरिद्वार ।	––तदैव––

2– मा0 उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, नैनीताल में योजित निर्देश याचिका संख्या 41/NB/DB/2019, याचिका संख्या 52/NB/DB/2019, याचिका संख्या 54/NB/DB/2021, याचिका संख्या 59/NB/DB/2021, याचिका संख्या 61/NB/DB/2021, याचिका संख्या 62/NB/DB/2021, याचिका संख्या 86/NB/DB/2021 एवं निर्देश याचिका संख्या 03/NB/DB/2022 में मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा दिनांक 21–04–2022 को पारित आदेश के अधीन संबंधित प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति abeyance में रखी गयी हैं। अतः उक्त स्थानान्तरण मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–04–2022 के अधीन रहेंगे।

3– वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा–22 मे निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित प्रधानाध्यापकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगीः–

(1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार से अवमुक्त होने वाले प्रधानाध्यापक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे।

(2) स्थानान्तरित प्रधानाध्यापकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

(3) स्थानान्तरित किये गये प्रधानाध्यापकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(4) स्थानान्तरित प्रधानाध्यापकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

(5) धारा–25 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित प्रधानाध्यापकों द्वारा कार्यभार से मुक्त होने से पूर्व महत्वपूर्ण प्रकरणों के संबंध में एक कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा, जिसकी एक प्रति गार्ड फाईल में सुरक्षित रखी जायेगी तथा एक प्रति संबंधित नियंत्रक अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(6) उक्त स्थानान्तरण आदेश में ऐसे प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका जो जनपद चमोली एवं हरिद्वार के अन्तर्गत हैं, वे संबंधित जनपद में विधान सभा उप निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त ही कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कर सकेगें।

21/6/24

(महावीर सिंह बिष्ट)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: सेवा–1/दो–(ख)/8–(01)/6915-25 /2024–25 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ हेतु।
2. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0),गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
6. संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित प्रधानाध्यापकों को स्थानान्तरण आदेश की प्रति निर्धारित समयावधि के अन्दर प्राप्त कराते हुए पावती रसीद निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद (द्वारा–मुख्य शिक्षा अधिकारी)।
8. प्रधानाध्यापक, संबंधित विद्यालय (द्वारा–मुख्य शिक्षा अधिकारी)।
9. संबंधित प्रधानाध्यापकों को उक्तानुसार अनुपालन हेतु।
10. प्रभारी एम0आई0एस0, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय से कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेगें।
11. आदेश गार्ड फाईल।

21.6.24

(डा0 मुकुल कुमार सती)
संयुक्त निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड